



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JUNE 30, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

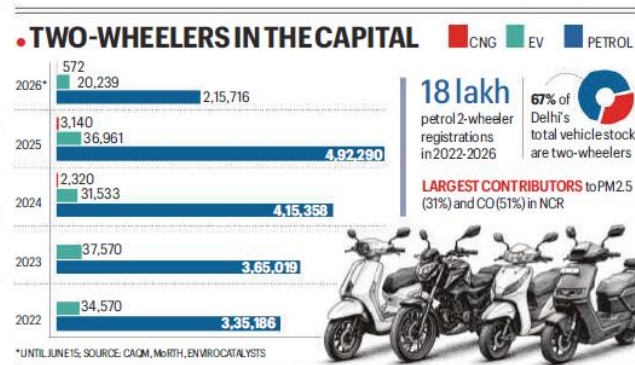
Table of Contents

1. दिल्ली ईवी नीति 2.0: 2028 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अनिवार्य करना (Delhi EV Policy 2.0: Mandating Electric Two-Wheelers by 2028)	2
2. भारत में ठप पड़ा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड रोलआउट: सुरक्षा और स्पेक्ट्रम की बाधाएं (Stalled Satellite Broadband Rollout in India: Security and Spectrum Hurdles).....	4
3. भारत के पावर मिक्स की बदलती गतिशीलता: सौर ऊर्जा का उदय (Changing Dynamics of India's Power Mix: The Rise of Solar Energy)	5
4. यूरोपीय संघ अपशिष्ट पोत परिवहन विनियमन: धातु स्कैप निर्यात पर व्यापार घर्षण (EU Waste Shipment Regulation: Trade Friction Over Metal Scrap Exports)	7
5. एनआईआईएफ में पूंजी निवेश: बुनियादी ढांचा और वैश्विक पूंजी सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा (Capital Infusion in NIIF: Boosting Infrastructure and Global Capital Mobilization)	8
6. विलंबित मानसून और खरीफ फसलों की बुवाई: कृषि उत्पादन पर मंडराता खतरा (Delayed Monsoon and Summer Crop Sowing: Threats to Agricultural Output).....	10
7. भारी वाहन और शहरी वायु प्रदूषण: PM2.5 की चुनौती (Heavy-Duty Vehicles and Urban Air Pollution: The PM2.5 Challenge)	11
8. भारत के बाह्य ऋण की गतिशीलता: आरबीआई स्थिति रिपोर्ट (India's External Debt Dynamics: RBI Status Report).....	13
9. ग्रामीण साख पर नाबार्ड सर्वेक्षण: वित्तीय साक्षरता अंतराल और संरचनात्मक बदलाव (NABARD Survey on Rural Credit: Financial Literacy Gaps and Structural Shifts)	14
10. भू-राजनीतिक झटके और मुद्रा डेरिवेटिव: खुदरा हेजिंग में पुनरुत्थान (Geopolitical Shocks and Currency Derivatives: Retail Hedging Resurgence)	16
11. आर्थिक शासन के लिए प्रशासनिक सुधार: व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना (Administrative Reforms for Economic Governance: Driving Ease of Doing Business)	17
12. डीआरडीओ सुधार ढांचा: वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (DFP-2026) (DRDO Reform Framework: Delegation of Financial Powers - DFP-2026).....	19

1. दिल्ली ईवी नीति 2.0: 2028 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अनिवार्य करना (Delhi EV Policy 2.0: Mandating Electric Two-Wheelers by 2028)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- नीति अधिदेश (Policy Mandate):** दिल्ली सरकार की ईवी नीति 2.0 यह अनिवार्य करती है कि राजधानी में पंजीकृत होने वाले सभी नए दोपहिया और तिपहिया वाहन 1 अप्रैल, 2028 से इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) होने चाहिए, जिससे 31 मार्च, 2028 के बाद नए पेट्रोल मोटरसाइकिल/स्कूटर और नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लग जाएगा।
- वित्तीय प्रोत्साहन (Fiscal Incentives):** इस बदलाव को गति देने के लिए, यह नीति 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% रोड टैक्स छूट प्रदान करती है, साथ ही इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को खरीदने के लिए समर्पित नकद प्रोत्साहन भी देती है, जिसे 15,000 करोड़ रुपये के नियोजित व्यय का समर्थन प्राप्त है।
- लक्ष्य और समयसीमा (Target and Timeline):** इस नीति का लक्ष्य 31 मार्च, 2030 तक दिल्ली के कुल वाहन बेड़े का न्यूनतम 30% विद्युतीकरण हासिल करना है, जिसका अंतिम उद्देश्य वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करना है।
- प्रदूषण न्यूनीकरण (Pollution Mitigation):** वर्तमान में दिल्ली के कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 67% है और ये वाहनों से होने वाले प्रदूषण में मुख्य योगदानकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में PM2.5 उत्सर्जन का 31% और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) उत्सर्जन का 51% हिस्सा हैं।
- संस्थागत प्रेरक (Institutional Drivers):** मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट द्वारा स्वीकृत और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू द्वारा मंजूरी प्राप्त यह नीति, भारत में अपनी तरह का पहला और व्यापक उप-राष्ट्रीय हरित संक्रमण (green transition) सुधार है।



प्रमुख अवधारणाएं और संवैधानिक प्रावधान (Key Concepts & Constitutional Provisions)

- पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5):** 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले महीन सांस लेने योग्य कण जो गंभीर श्वसन और हृदय संबंधी स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।
- अनुच्छेद 21 (Article 21):** सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार का विस्तार करके इसमें स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल किया है।
- अनुच्छेद 48A - राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 48A - DPSP):** यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51A(g):** यह नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का एक मौलिक कर्तव्य लागू करता है।
- कानूनी ढांचा (Legal Framework):** यह वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत संचालित होता है, जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के साथ मिलकर काम करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

दिल्ली की ईवी नीति 2.0 टिकाऊ गतिशीलता (sustainable mobility) की ओर संरचनात्मक बदलाव के लिए एक अनुकरणीय शहरी शासन ढांचा प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सीधे संतुलित करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** शासन व्यवस्था (Governance), सांविधिक निकाय (CAQM), और जीवन के अधिकार से संबंधित न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)।
- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी)।

2. भारत में ठप पड़ा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड रोलआउट: सुरक्षा और स्पेक्ट्रम की बाधाएं (Stalled Satellite Broadband Rollout in India: Security and Spectrum Hurdles)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- रोलआउट गतिरोध (Rollout Gridlock):** यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb), जियो-एसईएस (Jio-SES) और स्टारलिंग (Starlink) को 2022 से लाइसेंस मिलने के बावजूद, अनसुलझे सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण विवादों के कारण भारत की व्यावसायिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं अभी भी ठप पड़ी हैं।
- आईएसएल सुरक्षा दुविधा (The ISL Security Dilemma):** मुख्य सुरक्षा बाधा में इंटर-सैटेलाइट लिंक्स (ISL) शामिल हैं, जो स्पेस-टू-स्पेस संचार के लिए ऑप्टिकल लेजर का उपयोग करते हैं। भारतीय अधिकारियों को डर है कि आईएसएल घरेलू गेटवे को पूरी तरह से बायपास कर सकता है, जिससे ट्रेफिक विदेशी अधिकार क्षेत्रों के माध्यम से रूट हो सकता है और स्थानीय निगरानी बंद हो सकती है।
- सख्त घरेलू अधिदेश (Strict Domestic Mandates):** सरकारी मानदंड स्थानीय गेटवे के माध्यम से पूर्ण रूटिंग की मांग करते हैं, और विदेशी गेटवे फॉलबैक या स्वतंत्र आईएसएल उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हैं। ऑपरेटरों को वैध इंटरसेप्शन (निगरानी) क्षमताओं को साबित करते हुए स्थानीयकृत संचालन, प्रबंधन और नियंत्रण इकाइयां बनाए रखनी होंगी।
- मूल्य निर्धारण को लेकर खींचतान (Pricing Tussle):** वित्तीय शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 4% समायोजित सकल राजस्व (AGR) या ₹3500/MHz के स्पेक्ट्रम शुल्क के साथ ₹500/उपयोगकर्ता/वर्ष के शहरी बाजार नियंत्रण शुल्क का प्रस्ताव दिया था। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसके जवाब में 1% दूरस्थ-उपयोगकर्ता छूट के साथ 5% AGR शुल्क का प्रस्ताव रखा है।



- **ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षात्मक उपाय (Operator Protections & Safeguards):** वैश्विक ऑपरेटरों ने अनुकूलित, संप्रभुता के अनुकूल परिनियोजन मॉडल (deployment models) की पेशकश की है। उनका तर्क है कि आईएसएल केवल आपदा के समय बैकअप के रूप में कार्य करता है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ट्रेफ़िक ट्रैक करने योग्य, विशिष्ट पहचान मापदंडों के साथ भारतीय गेटवे से ही जुड़ेगा।
- **विशेषज्ञों की सिफारिश (Expert Recommendation):** विश्लेषक "नियंत्रण और संतुलन" (checks and balances) दृष्टिकोण की सलाह देते हैं, जिसमें सख्त नो योर कस्टमर (KYC) टर्मिनल ट्रेकिंग, जियो-लोकेशन निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा आपात स्थितियों के दौरान उपयोगकर्ता टर्मिनलों को भौतिक रूप से आत्मसमर्पण करने के वैधानिक प्रावधान शामिल हों।

प्रमुख अवधारणाएं और नियामक प्रावधान (Key Concepts & Regulatory Provisions)

- **इंटर-सैटेलाइट लिंक्स (ISL):** यह तकनीक पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों के बीच सीधे लेजर-आधारित संचार को सक्षम बनाती है, जिससे पारगमन (transit) के दौरान ग्राउंड स्टेशन कनेक्शन की तत्काल आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **समायोजित सकल राजस्व (AGR):** दूरसंचार ऑपरेटरों के राजस्व से गणना की जाने वाली उपयोग और लाइसेंसिंग शुल्क संरचना, जो वर्तमान में उपग्रह सेवाओं के लिए DoT और TRAI के बीच विवाद का विषय है।
- **दूरसंचार अधिनियम, 2023 (Telecommunications Act, 2023):** इस अधिनियम के प्रावधान सरकार को सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या निलंबित करने और उपयोगकर्ता के उपकरणों को जब्त करने के व्यापक अधिकार देते हैं।
- **संप्रभु डेटा संरक्षण (Sovereign Data Protection):** यह राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांतों के अनुरूप है जो डेटा स्थानीयकरण (data localization) सुनिश्चित करते हैं और अंतरिक्ष-आधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से अनधिकृत सीमा पार डेटा रूटिंग को रोकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

तकनीकी व्यवधान को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संतुलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कड़े केवाईसी (KYC) और स्थानीय-गेटवे प्रवर्तन मॉडल को लागू करने से भारत संप्रभु डेटा निगरानी से समझौता किए बिना डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए एलईओ (LEO) उपग्रह क्षमताओं का लाभ उठा सकेगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; नियामक निकाय (TRAI, DoT)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट, लेजर संचार); साइबर सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां (डेटा इंटरसेप्शन, संप्रभु निगरानी)।

3. भारत के पावर मिक्स की बदलती गतिशीलता: सौर ऊर्जा का उदय (Changing Dynamics of India's Power Mix: The Rise of Solar Energy)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- संरचनात्मक संक्रमण (Structural Transition):** गर्मियों के चरम (मई) के दौरान भारत के बिजली उत्पादन मिश्रण (mix) में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 2022 में 14% से लगभग दोगुनी होकर 2026 में 29% हो गई है।
- कोयला निर्भरता में गिरावट (Decline of Coal Dependency):** इसके साथ ही, पारंपरिक कोयला आधारित बिजली उत्पादन की हिस्सेदारी इसी पांच साल की अवधि में लगातार कम हुई है, जो 50% से अधिक से गिरकर लगभग 41% रह गई है।
- मौसमी चरम संरेखण (Seasonal Peak Alignment):** यह तीव्र वृद्धि मई जैसे उच्च तापमान वाले गर्मियों के महीनों के दौरान चरम मौसमी बिजली की मांग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की सौर ऊर्जा की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करती है, जब सौर विकिरण (solar irradiance) अधिकतम होता है।
- डेटा स्रोत और सत्यापन (Data Sources and Validation):** सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा संकलित ट्रेडिंग डेटा के अनुसार, यह उत्पादन पैटर्न भारत की मौसमी लोड-प्रबंधन क्षमताओं में एक मौलिक बदलाव को दर्शाता है।
- ग्रिड प्रबंधन के लिए निहितार्थ (Implications for Grid Management):** जबकि सौर ऊर्जा दिन के समय की चरम मांगों को संभालती है, यह तीव्र बदलाव नवीकरणीय स्रोतों की रुक-रुक कर होने वाली प्रकृति (intermittency) को प्रबंधित करने के लिए मजबूत ग्रिड संतुलन तंत्र, ऊर्जा भंडारण समाधान और लचीले थर्मल बैकअप की आवश्यकता को जन्म देता है।



प्रमुख अवधारणाएं और संवैधानिक प्रावधान (Key Concepts & Constitutional Provisions)

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs):** पेरिस समझौते के तहत भारत द्वारा प्रतिबद्ध जलवायु लक्ष्य, जिसका उद्देश्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना है।
- डक कर्व (Duck Curve):** एक दिन में बिजली उत्पादन का ग्राफ जो चरम मांग और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के बीच समय के असंतुलन को दिखाता है, जिससे उच्च सौर उत्पादन के घंटों के दौरान एक गहरा वक्र (curve) बनता है।
- अनुच्छेद 48A - राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 48A - DPSP):** यह अधिदेश देता है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 51A(g):** यह नागरिकों के लिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का एक मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।
- सांविधिक ढांचा (Statutory Framework):** यह मुख्य रूप से विद्युत अधिनियम, 2003 (नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देना) और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (न्यूनतम गैर-जीवाश्म ईंधन खपत लक्ष्यों को अनिवार्य करने के लिए 2022 में संशोधित) के तहत शासित है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत के ग्रीष्मकालीन बिजली मैट्रिक्स में सौर ऊर्जा का बढ़ता प्रभुत्व आर्थिक विकास को कार्बन उत्सर्जन से अलग करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित करता है, जो देश को 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य (net-zero) उत्सर्जन लक्ष्य के करीब ले जा रहा है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; सांविधिक निकाय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियाँ।
- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बिजली क्षेत्र); संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण; जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्य (SDG 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा)।

4. यूरोपीय संघ अपशिष्ट पोत परिवहन विनियमन: धातु स्कैप निर्यात पर व्यापार घर्षण (EU Waste Shipment Regulation: Trade Friction Over Metal Scrap Exports)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- नियामक गतिरोध (Regulatory Impasse):** भारत ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ (EU) से धातु स्कैप निर्यात पर उसके आगामी पर्यावरणीय प्रतिबंधों से महत्वपूर्ण छूट देने का अनुरोध किया है, और चेतावनी दी है कि इस कदम से द्वितीयक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाएं (secondary manufacturing supply chains) बाधित होंगी।
- मई 2027 का अधिदेश (The May 2027 Mandate):** यूरोपीय संघ के संशोधित अपशिष्ट पोत परिवहन विनियमन (विनियमन EU 2024/1157) के तहत, गैर-ओईसीडी (गैर-OECD) देशों को गैर-खतरनाक कचरे के निर्यात पर 21 मई, 2027 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जब तक कि आयातक देश नवंबर 2026 तक यूरोपीय संघ से स्पष्ट प्राधिकरण प्राप्त नहीं कर लेता।
- घरेलू धातु क्षेत्र पर प्रभाव (Impact on Domestic Metal Sector):** भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात (crude steel) उत्पादक है और उच्च गुणवत्ता वाले यूरोपीय लौह (ferrous) और एल्यूमीनियम स्कैप का एक प्रमुख आयातक है (जिसने 2025 में यूरोपीय संघ से 366,000 टन एल्यूमीनियम स्कैप का आयात किया था)। ये प्रतिबंध कच्चे माल की लागत बढ़ाने और गंभीर आपूर्ति संकट पैदा करने की चेतावनी देते हैं।
- द्विपक्षीय व्यापार घर्षण (Bilateral Trade Friction):** इस प्रतिबंध से आगामी भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से अपेक्षित रणनीतिक आर्थिक लाभों के कमजोर होने का जोखिम है, जिसे 2027 की शुरुआत में लागू किया जाना तय है।
- प्रस्तावित समझौता (Proposed Compromise):** यूरोपीय संघ के पर्यावरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए बिना आर्थिक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय व्यापार अधिकारी पूर्ण प्रतिबंध के बजाय संरचित निर्यात कोटा (structured export quotas) की प्रणाली के लिए दबाव डाल रहे हैं।



प्रमुख अवधारणाएं और संवैधानिक प्रावधान (Key Concepts & Constitutional Provisions)

- **ओईसीडी - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD):** मुख्य रूप से उच्च आय वाले, विकसित 38 देशों का एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन जो आर्थिक प्रगति और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **संसाधन राष्ट्रवाद (Resource Nationalism):** घरेलू उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए घरेलू संसाधनों (जिसमें स्क्रैप जैसी चक्रीय अर्थव्यवस्था सामग्री भी शामिल है) पर नियंत्रण का दावा करने की किसी देश की रणनीति, जिसके तहत अक्सर निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
- **अनुच्छेद 301 (Article 301):** सार्वजनिक हित और नियामक सीमाओं के अधीन, भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम (intercourse) की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 38 - राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Article 38 - DPSP):** यह राज्य को एक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जिसमें प्रमुख विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना शामिल है।
- **कानूनी मैट्रिक्स (Legal Matrix):** इसे भारत के विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसेल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह विवाद यूरोपीय संघ के चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) अधिदेशों और भारत के द्वितीयक विनिर्माण विकास के बीच टकराव को उजागर करता है। कोटा के माध्यम से इस मुद्दे को हल करना आवश्यक है ताकि हरित मानकों की आड़ में व्यापार संरक्षणवाद (trade protectionism) को व्यापक भारत-ईयू व्यापार संबंधों को नुकसान पहुँचाने से रोका जा सके।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव।
- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** बुनियादी ढांचा (इस्पात, एल्यूमीनियम); संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण (चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाम हरित संरक्षणवाद)।

5. एनआईआईएफ में पूंजी निवेश: बुनियादी ढांचा और वैश्विक पूंजी सुदृढीकरण को बढ़ावा (Capital Infusion in NIIF: Boosting Infrastructure and Global Capital Mobilization)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- **रणनीतिक पूंजी निवेश (Strategic Capital Infusion):** केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (NIIF) के लिए अतिरिक्त ₹30,000 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिससे इसकी कुल संप्रभु पूंजी प्रतिबद्धता दोगुनी होकर ₹60,000 करोड़ हो गई है।

- **वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना (Crowd-in Global Capital):** यह बढ़ी हुई राजकोषीय प्रतिबद्धता संप्रभु धन कोषों (sovereign wealth funds) और वैश्विक पेंशन फंडों सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत पूंजी के बड़े पूलों को आकर्षित करने (crowd-in) के लिए एक इक्विटी एंकर के रूप में कार्य करती है।
- **लक्षित परिसंपत्ति वर्ग (Target Asset Classes):** इस नए पूंजी पूल को विशेष रूप से हरित परिवहन, टिकाऊ ऊर्जा संक्रमण और उन्नत डिजिटल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्केलेबल, क्षेत्र-विशिष्ट प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए निर्धारित किया गया है।
- **मिश्रित वित्त मॉडल (Blended Finance Model):** एक अर्ध-संप्रभु (quasi-sovereign) माध्यम के रूप में कार्य करके, एनआईआईएफ वाणिज्यिक निवेशकों के लिए जोखिम की धारणा को कम करता है, जिससे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य लेकिन पूंजी-गहन परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण और इक्विटी का रास्ता साफ होता है।
- **राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन को समर्थन (National Infrastructure Pipeline Support):** यह निवेश भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए व्यापक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (NIP) और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में तेजी लाने के उद्देश्य के साथ सीधे संरेखित है।



प्रमुख अवधारणाएं और संवैधानिक प्रावधान (Key Concepts & Constitutional Provisions)

- **राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (NIIF):** भारत का पहला अर्ध-संप्रभु धन कोष, जिसे 2015 में सेबी (SEBI) के नियमों के तहत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें सरकार की 49% हिस्सेदारी है।
- **वैकल्पिक निवेश कोष (AIF):** भारत में स्थापित या निगमित एक निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन, जो एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिए परिष्कृत (sophisticated) निवेशकों से धन एकत्र करता है।
- **अनुच्छेद 282 (Article 282):** संघ को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, जिससे वित्तीय मध्यस्थों और एनआईआईएफ जैसे विशेष विकासात्मक साधनों की ओर लचीले वित्तपोषण आवंटन की अनुमति मिलती है।
- **अनुच्छेद 292 (Article 292):** भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) की सुरक्षा पर ऋण लेने की संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, जो बुनियादी ढांचे के लिए राज्य के राजकोषीय लाभों के कानूनी ढांचे को रेखांकित करता है।
- **कानूनी ढांचा (Legal Framework):** यह मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय की वित्तीय देखरेख के साथ-साथ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के माध्यम से शासित होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

एनआईआईएफ की पूंजी का दोगुना होना परिष्कृत मिश्रित वित्त संरचनाओं (blended finance structures) की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू सार्वजनिक पूंजी भारत के बड़े बहु-ट्रिलियन डॉलर के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लक्ष्यों के लिए एकमात्र वित्तपोषक के बजाय एक उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में कार्य करे।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास से संबंधित मुद्दे; बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे।

6. विलंबित मानसून और खरीफ फसलों की बुवाई: कृषि उत्पादन पर मंडराता खतरा

(Delayed Monsoon and Summer Crop Sowing: Threats to Agricultural Output)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- बुवाई में कमी (Sowing Deficit):** दक्षिण-पश्चिम मानसून की धीमी और विलंबित शुरुआत के कारण भारतीय किसान धान, कपास, मक्का और सोयाबीन जैसी प्रमुख ग्रीष्मकालीन (खरीफ) फसलों के पारंपरिक बुवाई कार्यक्रम से पिछड़ गए हैं।
- मानसून पर निर्भरता (Monsoon Dependency):** वार्षिक मानसूनी बारिश, जो आमतौर पर जून और जुलाई में आती है, भारतीय कृषि के लिए आवश्यक वर्षा का 70% से अधिक हिस्सा प्रदान करती है, जिससे असिंचित क्षेत्रों के लिए इसका समय पर आना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- वैश्विक चावल बाजार (Global Rice Markets):** चूंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जो वैश्विक अनाज शिपमेंट का लगभग 40% हिस्सा है, इसलिए घरेलू खरीफ चावल उत्पादन में कोई भी महत्वपूर्ण कमी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खतरा पैदा करती है।
- रकबे में गिरावट (Acreage Lag):** बारिश की धीमी गति के कारण प्रमुख कृषि राज्यों में औसत से कम संचयी वर्षा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप नमी के प्रति संवेदनशील तिलहन और दलहन के शुरुआती रकबे (acreage) में कमी आई है।
- मुद्रास्फीति का दबाव (Inflationary Pressures):** बुवाई में देरी से फसल का विकास चक्र छोटा हो जाता है, जिससे अंतिम पैदावार कम हो सकती है और घरेलू खाद्य मुद्रास्फीति (food inflation) बढ़ सकती है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता और ग्रामीण मांग के लिए एक सीधी चुनौती है।



प्रमुख अवधारणाएं और संवैधानिक प्रावधान (Key Concepts & Constitutional Provisions)

- खरीफ फसलें (Kharif Crops):** ग्रीष्मकालीन कृषि फसलें जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत (जून-जुलाई) के साथ बोई जाती हैं और शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) में काटी जाती हैं, जिन्हें उच्च तापमान और प्रचुर नमी की आवश्यकता होती है।

- दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon):** जून और सितंबर के बीच समुद्र से जमीन की ओर चलने वाला एक मौसमी हवा का पैटर्न, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण भूजल पुनर्भरण (groundwater recharge) की जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 39(b) और (c):** यह निर्देश देते हैं कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए जिससे सामूहिक हित का साधन हो सके, जो खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को अनिवार्य बनाता है।
- अनुच्छेद 48 - राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 48 - DPSP):** उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित करने के लिए राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश देता है।
- कानूनी ढांचा (Legal Framework):** यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (कमी के दौरान खाद्य स्टॉक की जमाखोरी को प्रबंधित करने के लिए) के तहत शासित है और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का समर्थन प्राप्त है, जो काफी हद तक मजबूत बफर स्टॉक पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

खरीफ की विलंबित बुवाई जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति भारत की निरंतर संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। घरेलू खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, भारत को जलवायु-अनुकूल कृषि तकनीकों में तेजी लानी होगी, सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करना होगा और मौसम के पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करना होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

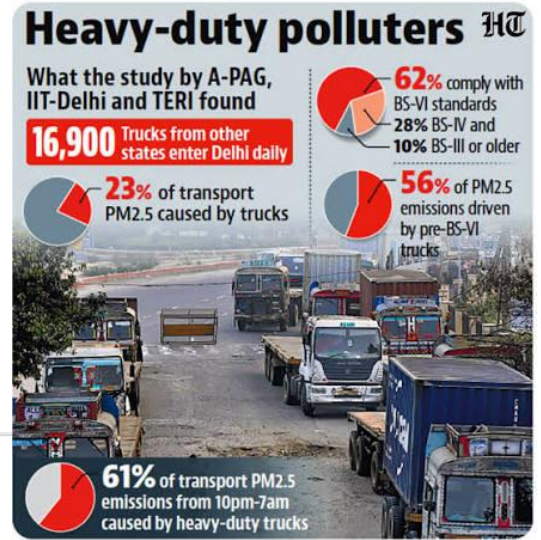
- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर I:** भौगोलिक विशेषताएं और उनका स्थान- महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन (मानसून की गतिशीलता)।
- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** मुख्य फसलें- देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न; खाद्य सुरक्षा, बफर स्टॉक और कृषि मुद्रास्फीति प्रबंधन।

7. भारी वाहन और शहरी वायु प्रदूषण: PM2.5 की चुनौती (Heavy-Duty Vehicles and Urban Air Pollution: The PM2.5 Challenge)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- असंगत उत्सर्जन (Disproportionate Emissions):** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारी मालवाहक ट्रक और बसें भारत के कुल वाहन बेड़े का केवल 2.5-3% हैं, लेकिन परिवहन से संबंधित महीन कण पदार्थ (PM2.5) के कुल उत्सर्जन में उनका योगदान 35-36% का है।
- डीजल कारक (The Diesel Factor):** इन 7.36 मिलियन पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों का इतना अधिक उत्सर्जन फुटप्रिंट बड़े इंजन विस्थापन (displacement), भारी पेलोड क्षमता, लंबे समय तक लगातार परिचालन के घंटों और डीजल ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण है।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम (Public Health Risk):** हालांकि परिवहन उत्सर्जन में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हैं, विशेषज्ञ PM2.5 को सबसे खतरनाक प्रदूषक मानते हैं क्योंकि यह मानव फेफड़ों और रक्तप्रवाह में गहराई तक प्रवेश करने की क्षमता रखता है।
- **नीतिगत उत्प्रेरक (Policy Catalyst):** ये निष्कर्ष प्रस्तावित भारत स्टेज VII (BS VII) उत्सर्जन ढांचे की ओर तेजी से बढ़ने और वाणिज्यिक वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के सरकार के प्रयास को दृढ़ता से बल देते हैं।
- **स्कैपेज और आधुनिकीकरण (Scrappage and Modernization):** प्रदूषण में इतनी बड़ी हिस्सेदारी पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन-बेड़े आधुनिकीकरण नीति (वाहन स्कैपेज नीति) को आक्रामक रूप से लागू करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।



प्रमुख अवधारणाएं और संवैधानिक प्रावधान (Key Concepts & Constitutional Provisions)

- **महीन कण पदार्थ (PM2.5):** 2.5 माइक्रोन से कम के एरोडायनामिक व्यास वाले हवा में मौजूद कण जो लंबे समय तक हवा में निलंबित रहते हैं और गंभीर श्वसन तथा हृदय रोगों का कारण बनते हैं।
- **BS VII उत्सर्जन मानक (BS VII Emission Norms):** आगामी, अत्यधिक कड़े संस्थागत मानक जिनका उद्देश्य टेलपाइप उत्सर्जन (tailpipe emissions) के लिए अनुमेय सीमाओं को काफी कम करना है, जो विशेष रूप से भारी वाणिज्यिक वाहनों में कण पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड को लक्षित करते हैं।
- **अनुच्छेद 21 (Article 21):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार पुष्टि की गई है कि जीवन के अधिकार में अप्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है।
- **अनुच्छेद 48A - राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 48A - DPSP):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, जो वाहन उत्सर्जन नियमों के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **कानूनी ढांचा (Legal Framework):** मुख्य रूप से वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत बनाए गए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत विनियमित।

निष्कर्ष (Conclusion)

शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए भारी वाहन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। BS VII मानदंडों को लागू करने और इलेक्ट्रिक या एलएनजी (LNG) चालित भारी ट्रकों के लिए लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करने से भारत लॉजिस्टिक और आर्थिक विकास को धीमा किए बिना परिवहन प्रदूषण को कम करने में सक्षम होगा।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

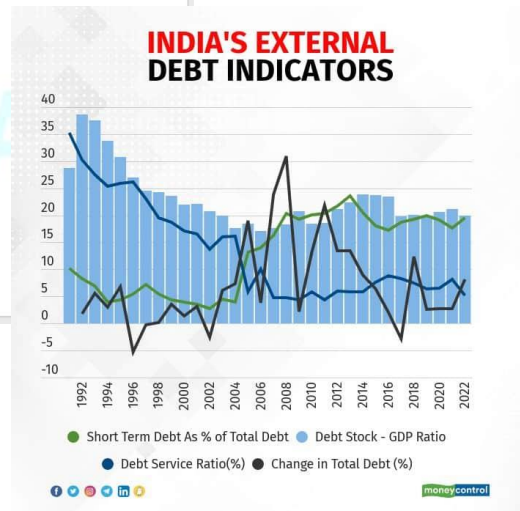
- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; नियामक मानक और प्रवर्तन तंत्र।

- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III: पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण; बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र में सुधार; विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास (उत्सर्जन मानक और हरित लॉजिस्टिक्स)।

8. भारत के बाह्य ऋण की गतिशीलता: आरबीआई स्थिति रिपोर्ट (India's External Debt Dynamics: RBI Status Report)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- ऋण की मात्रा में विस्तार (Debt Quantum Expansion):** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 के अंत में भारत का कुल बाह्य ऋण बढ़कर \$762.8 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में \$26.3 बिलियन (3.6% वार्षिक वृद्धि) की वृद्धि दर्शाता है।
- मैक्रो-भेद्यता अनुपात (Macro-Vulnerability Ratio):** इस पूर्ण वृद्धि को दर्शाते हुए, महत्वपूर्ण बाह्य ऋण-टू-जीडीपी (debt-to-GDP) अनुपात मार्च 2026 के अंत में बढ़कर 20.8% हो गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में दर्ज किए गए 19.8% से एक प्रतिशत अंक की वृद्धि है।
- मूल्यांकन प्रभाव (The Valuation Impact):** भारतीय रुपये और अन्य वैश्विक मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की भारी मजबूती के कारण मुख्य बाह्य ऋण वृद्धि काफी धीमी दिखाई दी, जिसने \$24.6 बिलियन का सकारात्मक मूल्यांकन प्रभाव (valuation effect) पैदा किया। यदि इसे हटा दिया जाए, तो वास्तविक ऋण \$51 बिलियन बढ़ गया होता।
- परिपक्वता संरचना (Maturity Structure):** भारत का बाह्य ऋण प्रोफाइल अभी भी सुरक्षित, दीर्घकालिक ऋण (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता) की ओर झुका हुआ है, जो \$613.5 बिलियन है, जबकि अल्पकालिक ऋण का हिस्सा कुल घटक के 19.6% तक पहुंच गया है।
- मुद्रा और ऋण संरचना (Currency and Debt Composition):** अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के ऋण सबसे बड़ी देनदारी श्रेणी बने हुए हैं, जिनकी हिस्सेदारी सर्वाधिक 55.5% है, जबकि भारतीय रुपया 29.4% के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद जापानी येन, एसडीआर (SDRs) और यूरो का स्थान है।
- कॉर्पोरेट-संचालित ऋण (Corporate-Driven Borrowing):** इस विस्तार को मुख्य रूप से गैर-वित्तीय निगमों (36.4%) और जमा स्वीकार करने वाले बैंकों (26.5%) के वाणिज्यिक लेनदेन से बढ़ावा मिला, जिसने सार्वजनिक संप्रभु/सरकारी ऋण देनदारियों में हुई 0.6% की मामूली कमी की भरपाई कर दी।



प्रमुख अवधारणाएं और कानूनी ढांचा (Key Concepts & Legal Framework)

- बाह्य ऋण (External Debt):** किसी देश के कुल ऋण का वह हिस्सा जो विदेशी ऋणदाताओं से उधार लिया जाता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान या विदेशी सरकारें शामिल हैं।

- **मूल्यांकन प्रभाव (Valuation Effect):** रिपोर्टिंग मुद्रा (reporting currency) के मुकाबले विभिन्न मुद्राओं के उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप बाहरी देनदारियों के कुल बकाया नाममात्र मूल्य में होने वाला परिवर्तन, न कि नए शुद्ध पूंजी प्रवाह या पुनर्भुगतान के कारण।
- **अनुच्छेद 292 (Article 292):** वैधानिक सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से पूंजी उधार लेने की केंद्र सरकार की कार्यकारी सीमाओं को निर्धारित करता है।
- **फेमा, 1999 (FEMA, 1999):** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ECBs), व्यापार ऋणों और अनिवासी खातों को विनियमित करता है ताकि पूंजी के देश से बाहर जाने को रोका जा सके और बाहरी स्थिरता को बनाए रखा जा सके।
- **डेटा प्रसार अधिदेश (Data Dissemination Mandate):** आरबीआई (RBI) द्वारा त्रैमासिक रूप से और आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत बाह्य ऋण प्रबंधन इकाई (EDMU) के माध्यम से वार्षिक रूप से इसकी निगरानी की जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

हालांकि भारत के ऋण-टू-जीडीपी अनुपात में मामूली विस्तार हुआ है, लेकिन कम ऋण सेवा अनुपात (चालू प्राप्तियों के 5.8% तक गिरना) और दीर्घकालिक परिपक्वता की मजबूत हिस्सेदारी दर्शाती है कि भारत का बाह्य ऋण पोर्टफोलियो अत्यधिक प्रबंधनीय है और भुगतान संतुलन की संरचनात्मक कमजोरियों के खिलाफ लचीला है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास से संबंधित मुद्दे; बाह्य क्षेत्र की स्थिरता, भुगतान संतुलन (BoP), और मौद्रिक पैरामीटर।
- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** आर्थिक शासन का मार्गदर्शन करने वाले सांविधिक, नियामक निकाय (RBI) और कार्यकारी नीतिगत निर्णय।

9. ग्रामीण साख पर नाबार्ड सर्वेक्षण: वित्तीय साक्षरता अंतराल और संरचनात्मक बदलाव (NABARD Survey on Rural Credit: Financial Literacy Gaps and Structural Shifts)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- **गंभीर साक्षरता कमी (Severe Literacy Deficit):** नाबार्ड (NABARD) द्वारा जून 2026 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 1/4 से भी कम ग्रामीण परिवार यह समझते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है या यह उनकी उधार लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है, जो एक बड़े वित्तीय साक्षरता अंतराल को उजागर करता है।
- **अत्यधिक ऋण लागत (Prohibitive Borrowing Costs):** उच्च ब्याज दरें अभी भी मुख्य बाधा बनी हुई हैं, जिसमें लगभग 50% ग्रामीण परिवारों ने औपचारिक ऋण को बहुत महंगा बताया है, जो ब्याज सबवेन्शन (छूट) योजनाओं के विस्तार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- **ऋण-आय विसंगति (Credit-Income Disconnect):** औपचारिक ऋण की बढ़ती पहुंच ग्रामीण आय में वृद्धि में नहीं बदल पाई है; लगभग 57% उत्तरदाताओं ने ऋण लेने के बाद भी स्थिर आय की सूचना दी, जो गैर-उत्पादक उपभोग की ओर पूंजी के विचलन (capital diversion) को दर्शाता है।
- **अनौपचारिक ऋण में संकुचन (Informal Credit Contraction):** गैर-संस्थागत ऋण 2022 के 25% से घटकर 2026 में 16% के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। इस अनौपचारिक पूल के भीतर, मित्रों और रिश्तेदारों का हिस्सा 61% के साथ सबसे अधिक है, जबकि शोषण करने वाले साहूकारों का हिस्सा गिरकर केवल 13.6% रह गया है।
- **डिजिटल धोखाधड़ी के जोखिम (Digital Fraud Risks):** डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ते कदमों ने डिजिटल रूप से कम जानकारी ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की संवेदनशीलता में एक अप्रत्याशित वृद्धि ला दी है।



प्रमुख अवधारणाएं और कानूनी ढांचा (Key Concepts & Legal Framework)

- **क्रेडिट स्कोर (Credit Score):** उपभोक्ता के ऐतिहासिक पुनर्भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर उसकी साख का मूल्यांकन करने वाली एक सांख्यिकीय संख्या, जो ऋण पात्रता और ब्याज निर्धारण को तय करती है।
- **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर (Grameen Credit Score):** केंद्रीय बजट 2026-27 में शुरू किया गया एक विशेष ढांचा, जिसे स्थानीय आर्थिक संकेतकों का उपयोग करके ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए वैकल्पिक क्रेडिट इतिहास बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **अनुच्छेद 38 - राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 38 - DPSP):** राज्य को व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, स्थिति और अवसरों में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 43 - राज्य के नीति निदेशक तत्व (Article 43 - DPSP):** ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और जीवन निर्वाह मजदूरी सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **सांविधिक ढांचा (Statutory Framework):** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) अधिनियम, 1981 के माध्यम से संचालित और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के तहत इसकी निगरानी की जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

शोषण करने वाले साहूकारों से दूर हटने का यह संरचनात्मक बदलाव एक बड़ी नियामक जीत है। हालांकि, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचे का अधिकतम लाभ उठाने के लिए, भारत को केवल ऋण देने के बजाय व्यापक वित्तीय वकालत (financial advocacy) की ओर रुख करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण आय उत्पन्न करने वाली, उत्पादक संपत्तियों में प्रवाहित हो।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; शासन व्यवस्था और नाबार्ड (NABARD) जैसे सांविधिक निकायों की भूमिका।
- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (जागरूक संस्थागत ऋण, वित्तीय समावेशन); कृषि विपणन और ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास।

10. भू-राजनीतिक झटके और मुद्रा डेरिवेटिव: खुदरा हेजिंग में पुनरुत्थान (Geopolitical Shocks and Currency Derivatives: Retail Hedging Resurgence)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- हेजिंग का पुनरुद्धार (Hedging Revival):** पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत के ठप पड़े एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ETCD) खंड को अप्रत्याशित रूप से पुनर्जीवित कर दिया है, जिससे सीमा पार के जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए बाजार सहभागियों के आगे आने से खुदरा व्यापार (retail trading) गतिविधि में तेजी आई है।
- कारोबार में पुनरुत्थान (Turnover Resurgence):** मुद्रा के भारी उतार-चढ़ाव के कारण, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर ETCD फ्यूचर्स का औसत दैनिक कारोबार जून 2026 तक वार्षिक आधार पर 65% बढ़कर ₹5,535.58 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2026 में देखी गई 81% की भारी नियामक गिरावट से उबर चुका है।
- सख्त अंतर्निहित अधिदेश (Strict Underlying Mandate):** मात्रा (volume) में यह विस्तार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के जनवरी 2024 के निर्देश का कड़ाई से पालन करता है। यह नियम USD/INR जैसे जोड़ों में \$100 मिलियन तक के व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन भागीदारी को सख्ती से केवल उन उपयोगकर्ताओं तक सीमित करता है जिनके पास सत्यापन योग्य, बिना हेज वाला (unhedged) वित्तीय जोखिम (financial exposure) मौजूद हो।
- कच्चे तेल और रुपये में अस्थिरता (Crude and Rupee Volatility):** पश्चिम एशिया संघर्ष में वृद्धि ने वैश्विक तेल रसद (oil logistics) को बाधित कर दिया, जिससे कच्चे तेल की कीमतें 39% बढ़कर \$101 प्रति बैरल हो गईं। इस झटके ने फरवरी और मई 2026 के बीच भारतीय रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6.5% गिराकर 91.07 से 96.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर ला दिया।
- भागीदारी में बदलाव (Shift in Participation):** हाजिर बाजार (spot market) में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण, एनएसई मुद्रा वायदा (NSE currency futures) में खुदरा हिस्सेदारी मार्च के 5.9% से तेजी से बढ़कर मई 2026 में 11.1% हो गई, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की 17.3% की समानांतर वृद्धि से मेल खाती है।
- सख्त अनुपालन मानक (Strict Compliance Standards):** सट्टेबाजी को रोकने के लिए, ब्रोकरेज कंपनियों को सहायक वाणिज्यिक चालान (commercial invoices) के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। गैर-अनुपालन पर भारत के विदेशी मुद्रा कानूनों के तहत गंभीर वैधानिक अभियोजन (statutory prosecution) का जोखिम होता है।



प्रमुख अवधारणाएं और कानूनी ढांचा (Key Concepts & Legal Framework)

- **एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ETCD):** विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करने वाले वित्तीय अनुबंध जो सहभागियों को भविष्य की तारीख में पूर्व निर्धारित मूल्य पर विशिष्ट मुद्रा जोड़े खरीदने या बेचने की अनुमति देते हैं।
- **हेजिंग (Hedging):** डेरिवेटिव अनुबंध में विपरीत स्थिति लेकर हाजिर बाजार (spot market) में प्रतिकूल मूल्य आंदोलनों से संभावित वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक जोखिम प्रबंधन रणनीति।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** सीमा पार व्यापार, आवक/जावक प्रेषण (remittances) और विदेशी मुद्रा संरक्षण को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून। यह आरबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अनधिकृत मुद्रा सट्टेबाजी को दंडित करने का अधिकार देता है।
- **नियामक द्विशासन (Regulatory Duopoly):** ETCD बाजार संयुक्त रूप से सेबी (SEBI - जो बाजार के बुनियादी ढांचे, ब्रोकर ऑडिट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की देखरेख करता है) और आरबीआई (RBI - जो मौद्रिक नीति, विनिमय दर स्थिरता और पूंजी खाता लेनदेन का प्रबंधन करता है) द्वारा विनियमित होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

खुदरा मुद्रा डेरिवेटिव्स में अचानक आई तेजी यह साबित करती है कि भू-राजनीतिक झटके स्थानीय वित्तीय बाजारों में तेजी से असर डालते हैं। वास्तविक कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत हेजिंग को सट्टा ट्रेडों से अलग करने में अंतर्निहित जोखिम नियमों का सख्त प्रवर्तन सफल रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों को जुटाने से संबंधित मुद्दे; मैक्रो स्थिरता पर वैश्विक भू-राजनीतिक घर्षण के प्रभाव; बाह्य क्षेत्र, विनिमय दर की अस्थिरता और वित्तीय डेरिवेटिव।
- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** सांविधिक, नियामक और संस्थागत निकाय (RBI और SEBI); पूंजी बाजारों में सरकारी हस्तक्षेप।

11. आर्थिक शासन के लिए प्रशासनिक सुधार: व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना (Administrative Reforms for Economic Governance: Driving Ease of Doing Business)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- **संस्थागत समीक्षा (Institutional Stocktaking):** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के संरचनात्मक सुधारों की बारीकी से जांच करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई।
- **विकसित भारत खाका (Viksit Bharat Blueprint):** यह बातचीत 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दीर्घकालिक संप्रभु प्रतिबद्धता के साथ मंत्रालयों की कार्य योजनाओं को संरेखित करने के लिए प्राथमिक प्रशासनिक माध्यम के रूप में कार्य करती है।

- **शून्य लंबितता पर ध्यान (Focus on Zero Pendency):** शीर्ष नौकरशाही को पूर्ण पारदर्शिता लागू करने, फाइलों की मंजूरी में होने वाली देरी को कम करने और नागरिक-केंद्रित "ईज ऑफ लिविंग" (Ease of Living) बेंचमार्क के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को अनुकूलित करने का निर्देश दिया गया था।
- **व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि (Macroeconomic Backdrop):** यह समीक्षा एक लचीली आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच हुई, जिसमें चौथी तिमाही में भारत के वास्तविक जीडीपी में 7.8% के विस्तार और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 7.7% की त्वरित पूर्ण-वर्ष विकास दर को दर्ज किया गया।
- **डिजिटल और विश्वास-आधारित धुरी (Digital and Trust-Based Pivot):** चर्चाओं में अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रणों से शासन को विश्वास-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित करने पर प्रकाश डाला गया, जिसमें नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) और जन विश्वास अधिनियमों जैसे उपकरणों का लाभ उठाया गया।



प्रमुख अवधारणाएं और संवैधानिक प्रावधान (Key Concepts & Constitutional Provisions)

- **व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business - EoDB):** सरलीकृत अनुमतियों, डिजिटल अनुपालन और कम कानूनी बाधाओं के माध्यम से व्यावसायिक चक्रों को लागू करने की सुगमता को मापने वाला एक नियामक ढांचा।
- **विकसित भारत @ 2047:** प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, व्यापक मानव विकास सूचकांकों को प्राप्त करने और अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक प्रौद्योगिकी-संचालित शासन को संस्थागत बनाने का भारत का रणनीतिक रोडमैप।
- **अनुच्छेद 77 (Article 77):** भारत सरकार के कार्य संचालन को विनियमित करता है, जो कार्यपालिका को कुशल शासन के लिए कार्य आवंटन नियमों (Allocation of Business Rules) को अनुकूलित करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 301 (Article 301):** भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को अनिवार्य करता है, जो आंतरिक व्यापार बाधाओं को समाप्त करने के लिए संवैधानिक आधार बनाता है।
- **सांविधिक तंत्र (Statutory Machinery):** जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियमों द्वारा समर्थित, जिसने प्रशासनिक रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 700 से अधिक छोटे अनुपालन उल्लंघनों को व्यवस्थित रूप से गैर-आपराधिक (decriminalized) बना दिया।

निष्कर्ष (Conclusion)

आर्थिक विस्तार के लिए एक सुव्यवस्थित नौकरशाही ढांचा अपरिहार्य है। भारत की सिविल सेवाओं को एक सक्रिय, सुविधा-संचालित वितरण तंत्र में परिवर्तित करने से उच्च राजकोषीय विकास दर सुनिश्चित होगी और दीर्घकालिक संप्रभु विकासात्मक वादे पूरे होंगे।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका; शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू।

- सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति और विकास से संबंधित मुद्दे; सरकारी बजट और निवेश मॉडल।

12. डीआरडीओ सुधार ढांचा: वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (DFP-2026) (DRDO

Reform Framework: Delegation of Financial Powers- DFP-2026)

मुख्य सारांश बिंदु (Key Summary Points)

- संस्थागत सशक्तिकरण (Institutional Empowerment):** रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (DFP-2026) ढांचा जारी किया, जो वित्तीय स्वायत्तता, परिचालन लचीलेपन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक संरचनात्मक सुधार है।
- रणनीतिक परियोजनाओं में तेजी लाना (Accelerating Strategic Projects):** अद्यतन नियमों का उद्देश्य प्रोजेक्ट कुशा (लंबी दूरी की वायु रक्षा), आईसीबीएम (ICBMs) की अग्नि श्रृंखला, नेत्रा AEW&C प्रणाली और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) सहित महत्वपूर्ण, उच्च मूल्य वाले सैन्य कार्यक्रमों को फास्ट-ट्रैक करना है।
- लक्षित बजट प्रावधान (Targeted Budgeting Provisions):** यह नीति परीक्षण अभियानों, टेस्टिंग और प्रणाली मूल्यांकन के लिए समर्पित वित्तीय प्रवाह का निर्माण करती है, जबकि अधिकारियों को पूर्व-परियोजना अनुसंधान एवं विकास (R&D) पहलों को सीधे मंजूरी देने का अधिकार देती है।
- संरचित अनुदान हस्तांतरण (Structured Grant Devolution):** यह विशेष अनुसंधान नेटवर्क, विशेष रूप से एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, डिफेंस इनोवेशन एक्सेलेरेटर-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DIA-CoEs), और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड (TDF) में सहायता अनुदान (grants-in-aid) के लिए वित्तीय शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन स्थापित करता है।
- स्वदेशीकरण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना (Fostering Indigenization Ecosystems):** खरीद और विकास चक्र का विकेंद्रीकरण करके, यह ढांचा डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, घरेलू निजी उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच गहरे तकनीकी सहयोग को बढ़ाता है।
- सशस्त्र बलों के साथ तालमेल (Synergy with Armed Forces):** यह सुधार रक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (DFPDS-2026) के क्रियान्वयन के बाद आया है, जिसने फील्ड कमांडरों के लिए ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक की राजस्व खरीद के प्रबंधन की वित्तीय सीमाओं को दोगुना कर दिया था।



प्रमुख अवधारणाएं और कानूनी ढांचा (Key Concepts & Legal Framework)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (DFP):** परियोजना निष्पादन में तेजी लाने के लिए उच्च मंत्रालयी कमान स्तरों से निचले स्तर के परिचालन प्रबंधकों को मौद्रिक अनुमोदन सीमाओं का व्यवस्थित हस्तांतरण।

- **एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च (EMR):** किसी राज्य एजेंसी की ओर से मौलिक और व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और बाहरी अनुसंधान निकायों को दिया जाने वाला विशेष वित्तपोषण।
- **अनुच्छेद 51A(h):** वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने का एक मौलिक कर्तव्य स्थापित करता है।
- **अनुच्छेद 297 (Article 297):** भारत के समुद्री क्षेत्रों के भीतर सभी संसाधनों, भूमि, खनिजों और मूल्य की अन्य चीजों पर संघ की संप्रभुता का विवरण देता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है।
- **सांविधिक तंत्र (Statutory Machinery):** सरकारी व्यवसाय आवंटन नियमों द्वारा समर्थित और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की देखरेख में रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA) द्वारा पर्यवेक्षित वित्तीय ऑडिट संरचनाओं के माध्यम से संचालित।

निष्कर्ष (Conclusion)

DFP-2026 रक्षा अनुसंधान शासन को विकेंद्रीकरण और विश्वास-आधारित प्रबंधन की ओर स्थानांतरित करता है। यह मॉडल निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे भारत को अपने घरेलू सैन्य पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने और हथियार डिजाइन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अपने रणनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II:** शासन व्यवस्था, जवाबदेही और संस्थागत सुधार; मंत्रालयों और विभागों की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
- **सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III:** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई तकनीक विकसित करना; रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) बुनियादी ढांचा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां (आत्मनिर्भर भारत)।

Dream | Dare | Deliver

JUNE 30, 2026

